खण्ड १५ संख्या ८

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग १--कार्यवाही प्रश्नोत्तर ।]

सोमवार, तिथि २२ दिसम्बर, १९७५ ई० ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४११ के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर ।	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प-सूचित-प्रश्नोत्तर संख्या २,२९,३८,३९	१--१०
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या--४,५,६,३३१,३३३,३३४,३३५,३४६,३४८,३६६,३६७,३७१,३७३,३७५,३७९,३८१,३८२,३८३,३८४,३८५,३८६,३९३,३९४,३९६,३९७,४०१,४०२,४०३,४२६,४३१,४३२,४३३,४३५,४३९,४४०,४४२,४४३,४४५ एवं ४४६ ।	१०--५६
परिशिष्ट १--अल्प सूचित प्र० सं० २ के सम्बंध में प्रतिवेदन	५७--७८
परिशिष्ट २- प्रश्नों के लिखित उत्तर	७९--११३
परिशिष्ट ३ -प्रश्नों के लिखित उत्तर	११४--१५६
दैनिक नत्थी	...१५७--१५९

पाद टिप्पणी--किन्हीं मंत्री एवं सदस्य से उनके संशोधन नहीं प्राप्त हुए हैं ।

(२) क्या यह बात सही है कि कमिटी ने वहां के प्राचार्य श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा को उस विद्यालय में फैली अराजकता और कुव्यवस्था का मुख्य कारण बताते हुए उन्हें सरकार से अनिवार्य सेवामुक्त करने का तथा कुछ शिक्षकों को वहां से स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया है;

(३) क्या यह बात सही है कि कमिटी की सिफारिश पर वहां के तीन शिक्षकों का तत्काल स्थानान्तरण हो गया और मुख्य दोषी प्राचार्य श्री सिन्हा अपने पद पर अभीतक बने हुए हैं;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाटकर कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य श्री सिन्हा को अविलंब अनिवार्य सेवानिवृत्त कर वहां किसी योग्य एवं कर्मठ व्यक्ति को प्राचार्य नियुक्त करने का इरादा रखती है, यदि 'हां' तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष--इस पर विचार-विमर्श हुआ भी था । सदस्यों की इच्छा को देख कर मैंने आदेश दिया था कि पटंकर कमिटी की रिपोर्ट की प्रति (×××) वितरित करा दीजिए, प्रतियां वितरित हो गयी हैं । मूल बात यह है कि प्रिंसिपल महोदय का स्थानान्तरण क्यों नहीं हुआ ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह (मंत्री)--रिपोर्ट में ऐसी बात है कि कुछ कारणवश वे पहले थे । दूसरी बात यह भी है कि कोई सुटेबुल प्रिंसिपल नहीं मिल सका जो उनको रिप्लेस कर सके । इसलिए मामला पेंडिंग पड़ा रहा । १५ दिनों के अन्दर प्रिंसिपल का ट्रान्सफर कर रहे हैं और उनके जगह पर दूसरे प्रिंसिपल को दे रहे हैं ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या १४ के सम्बन्ध में चर्चा।

श्री विद्याकर कवि (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, कई डिविजनों से इसका सम्बन्ध है । हमने निर्देश दे दिया है, लेकिन उत्तर नहीं आ सका है ।

जमीन बचाने की व्यवस्था ।

२९ । श्री उमरांव साधो कुजूर--क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत ग्राम मठटोली, थाना नं० २३१, खाता नं० २, प्लौट नं० १६७९, रकबा १.१२ डिसमिल जमीन का आधा हिस्सा आदि-

पाद टिप्पणी--(×××) कृपया परिशिष्ट १ देखें ।

वासियों का शुरू से आज तक मुर्दा गाड़ने के उपयोग में लाया जाता है और आधा हिस्सा में मेला लगता है ;

(२) क्या यह बात सही है कि एक गैर-आदिवासी ने उक्त प्लौट में ही आधा हिस्सा खरीद की है जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गयी है ;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार आदिवासियों की सामाजिक एव धार्मिक जमीन को बचाने के लिये कौन-सा कदम उठाने जा रही है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तानेश्वर आजाद (राज्य-मंत्री)--(१) ग्राम टन्डुल (मठटोली) के खाता नं० २, प्लौट नं० १६७९ रकवा १.१२ एकड़ खतियान में बकाश्त मालिक दर्ज है। जमींदारी उन्मूलन के बाद इस पूरे रकबे का लगान-निर्धारण भूतपूर्व मध्यवर्त्ती श्री पुनी नाथ ओहदार के साथ बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० की द्वारा ६ के अन्तर्गत किया गया। जमाबन्दी भूतपूर्व मध्यवर्त्ती के नाम से चल रही है तथा अद्यतन लगान की रसीद भी इनके नाम से कटती है।

प्रश्नगत जमीन की करीब २५ डिसमिल जमीन ग्रामीणों द्वारा मुर्दा गाड़ने के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही साल में एक बार उक्त प्लौट के कुछ हिस्से पर यात्रा मेला लगता है, इस तरह का कोई इन्दराज सर्वे खतियान में नहीं है।

(२) जमाबन्दी होल्डर द्वारा प्रश्नगत जमीन के कुछ हिस्से की बिक्री गैर-आदिवासी व्यक्ति के साथ की गयी है। खरीदार तथा ग्रामिणों के बीच उक्त जमीन के बारे मे कुछ झंझट चल रहा है।

(३) मामले की विस्तृत छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश उपायुक्त, रांची को दिया जा रहा है।

श्री उमरांव साधो कुजूर-- मंत्री महोदय ने बताया कि गैर-आदिवासी द्वारा प्रश्नागत जमीन का कुछ हिस्सा जोता जाता है और खतियान में बकाश्त मालिक लिखा है तो १९५० से पहले से उसमे मुर्दा गाड़ने का काम लोग करते चले आ रहे है तो भी उसका लगान तय कर दिया गया और बन्दोवस्त कर दी गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री तानेश्वर आजाद-- खतियान में बकाश्त मालिक लिखा है, उसमें मुर्दा गाड़ने का जिक्र नहीं है। रसीद १९५८-५९ से कटती चली आ रही है। जिसके नाम में वह जमीन है उसको तो बेचने का अधिकार है ही। यह बात सही है कि उसने गैर-आदिवासी के हाथ बेचा है।

श्री उमराव साधो कुजूर--बहुत जमाने से आदिवासी लोग वहां मुर्दा गाड़ते चले आ रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हू कि उस जमीन को बन्दोवस्त क्यों किया गया ?

श्री तानेश्वर आजाद--इसलिए डिप्टी कमिश्नर, रांची को आदिवासियों के सेन्टीमेंट को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

श्री उमराव साधो कुजूर-- उनको लगान जो निर्धारित किया गया है उसको सरकार कैन्सिल करना चाहती है ?

श्री तानेश्वर आजाद--पूरी छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा गया है। पूरी छानबीन के बाद ही आवश्यक कार्रवाई होगी।

श्री शकूर अहमद--माननीय सदस्य का कहना है कि १९५० के पहले से इस जमीन पर आदिवासी लोग मुर्दा गाड़ते आ रहे हैं और सरकार कहती है कि १९५८-५९ से इसकी रसीद कटती है, तो बन्दोवस्ती के पहले जांच की गयी कि मुर्दा गड़ता है या नहीं या वह जमीन उसके कब्जे में है जिसके नाम से रसीद कटती है, इसकी जांच की गयी ?

श्री तानेश्वर आजाद--खतियान में बकाश्त मालि था। जमींदारी गयी, उस वक्त का यह इन्दराज है। १९५८-५९ से रसीद कट रही है। इस ओर सरकार का ध्यान प्रश्न होने पर गया और उसके बाद से सरकार कार्रवाई कर ही रही है। यह टेकनिकल मैटर है, इसमें समय तो लगता ही है।

अध्यक्ष--आप आदिवासी के हित और उनकी भावना पर विचार करते हुए, जब डी० सी० की रिपोर्ट आ जाय तो, यदि आवश्यक समझें, उच्च अधिकारी पर इसकी जांच का भार दे सकते हैं। उनकी भावना का ख्याल करते हुए निर्णय लें।

अ० स० प्रश्न संख्या ३० के सम्बन्ध में चर्चा।

श्री रामजी सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बहुत गड़बड़ी है।

अध्यक्ष--मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया है कि आप अध्यक्ष को सहयोग दें। अगर उत्तर तैयार नहीं है तो समय दीजिये।